



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102021-230135
CG-DL-E-04102021-230135

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3723]
No. 3723]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 1, 2021/आश्विन 9, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021/ASVINA 9, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4057(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट NH85 के किमी. 41.32 किमी. से 98.527 किमी. तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH85 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	द स्पेशल तहसीलदार औफस, ला,	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	केरल	इडुक्की	देवीकुलम	1 माननामकंदम

	एनएच, इडुक्की	NH85 के कि.मी. 41.32 से 98.527 तक					2	वल्लथूवाल
						उदूम्बंचोला	1	चतुरंगपरा
							2	उदूम्बंचोला
							3	कलकुन्तल
							4	परथोडु
							5	पम्पदुमपरा
							6	करुणापुरम
						थोडुपुज़्हा	1	कुमारमंगलम (Part)
							2	कोडिकुलम
							3	वण्णपुराम
							4	डुम्बान्नूर
						इडुक्की	1	कोननाथद्व
							2	वाथीकुडी
							3	थानकामोनी
							4	कंजीकुज़्ही

[फा. सं. NHAI/PIU/COCHIN/NH-85/1/ 3(a)/2021]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st October, 2021

S.O. 4057(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 41.32 to Km. 98.527 of the NH85 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of KERALA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH85 in the State of KERALA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	The Special	41.32KM. To	KERALA	IDUKKI	Devikulam	1 Mannamkandam

Tahsildar office , LA , NH, Idukki	98.527KM					2	Vellathuval
					Udumbanchola	1	Chathurangapara
						2	Udumbanchola
						3	Kalkoonthal
						4	Parathodu
						5	Pampadumpara
						6	Karunapuram
					Thodupuzha	1	Kumaramangalam (Part)
						2	Kodikulam
						3	Vannapuram
						4	Udumbannoor
					Idukki	1	Konnathady
						2	Vathikudy
3	Thankamony						
4	Kanjikuzhi						

[F. No. NHAI/PIU/COCHIN/NH-85/1/ 3(a)/2021]

RAJESH GUPTA, Director